



भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्डस
विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना
(सी ई एन 01 / 2018) के लिए शुद्धि पत्र



रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना सी ई एन 01 / 2018 के संदर्भ में निम्न लिखित सुधार किए गए हैं :—

- सी ई एन का अंतिम दिनांक और समय 31.03.2018 को 23.59 बजे तक बढ़ाया गया है !
- महत्वपूर्ण निर्देश क्र.सं.5 और पेरा 5.0 से संबंधित 01.07.2018 को आयु 18 से 30 वर्ष पढ़ी जाए।
- सामान्य निर्देश पेरा 1.8 को नीचे दिए अनुसार पढ़ा जाय :**
भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में उम्मीदवार के हस्ताक्षर समान होना चाहिए और ब्लॉक / कैपिटल अक्षरों में नहीं होना चाहिए। सी बी टी, ए टी, और डी बी आदि के समय हस्ताक्षर विविध रूप में होने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
- सामान्य अनुदेशों के पेरा 1.10 के बाद पेरा 1.10(a) निम्न प्रकार जोड़ा गया है :—**
भर्ती के सभी चरणों की प्रक्रिया पूरा होने पर रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवार के विकल्प के अनुसार मात्र मेरिट, मेडिकल योग्यता तथा रिक्ति स्थिति के आधार पर पद तथा रेलवे/इकाई को आवंटित करेगा। एक बार उम्मीदवार मेरिट/विकल्प के आधार पर पेनलीकृत हो जाता है तो किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार करने के अधिकार से बाहर कर दिया जाएगा।

फिर भी रेलवे भर्ती बोर्ड, उम्मीदवारों द्वारा विकल्प नहीं किया गया पद/रेलवे/इकाई को आवंटन करने का अधिकार रखता है। यदि प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक हो तो संबंधित पदों के लिए उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के बारे में विचार किया जाएगा।

यदि उम्मीदवारों के पेनलीकृत करने में कमी हो या अन्य जरूरत में रेलवे भर्ती बोर्ड यदि आवश्यक हो तो, मेरिट तथा उम्मीदवारों के विकल्प के अनुसार अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूची का उपयोग करने का अधिकार रखता है।

- उच्चतम आयु सीमा छूट / विभिन्न कौटियों / समुदायों के लिए अधिकतम आयु के संबंध में पेरा 5.1 का क्र.सं. 10 का विवरण नीचे दिए अनुसार पढ़ा जाय :**

क्र.सं.	समुदाय/कौटियों			उच्चतम आयु सीमा छूट (या) अधिकतम उच्चतम आयु
10	जो उम्मीदवार 25 वर्ष की आयु से पहले अप्रेटिसेस अधिनियम के तहत अपना अप्रेटिसेशिप शुरू किया है	अनारक्षित		35 साल आयु
		अन्य पिछड़े वर्ग –गैर क्रीमी लेयर		38 साल आयु
		अनुसूचित जाति / जनजाति		40 साल आयु

पेरा 5.2 निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :

उम्मीदवार की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के मध्य की तिथि होनी चाहिए (दोनों दिन सहित)

क्र.सं.	आयु समूह	जन्म तिथि की ऊपरी सीमा (इस तिथि से पूर्व नहीं)			जन्म तिथि की निचली सीमा (इस तिथि के पश्चाम नहीं)	अभियुक्तियां
1	18 से 30 साल	अनारक्षित(सामान्य) 02.07.1988	अन्य पिछड़े वर्ग –गैर क्रीमी लेयर 02.07.1985	अनुसूचित जाति / जनजाति 02.07.1983	सभी समुदायों / श्रेणियों के लिए 01.07.2000	पेरा 5.1 में दी गई तालिका के अनुसार समुदायों/वर्गों से संबंध उम्मीदवार आयु के लिए यथा लागू छूट के पात्र होंगे। नोट: इस तालिका में 'अनु.जा.' / 'अनु.ज.जा.' एवं 'अ.पि.' वर्ग—गैर क्रीमी लेयर के लिए दी गई जन्म तिथि की छूट में 'समुदाय आयु छूट शामिल है'

*यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक कारणों से आयू में छूट का पात्र होता है तो उसे उसकी पात्रता के अनुसार उच्चतम आयू छूट (संचयी नहीं) प्रदान की जाएगी।

6. पेरा 7.0 पर परीक्षा संबंधी शुल्क तालिका को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :

क्र.सं.	उम्मीदवार का वर्ग	शुल्क
1	क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग *इस शुल्क रु.500/- में से रु.400/- प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने के पश्चात बैंक प्रभार काटकर वापस किया जाएगा	रु.500*
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग व्यक्ति/महिला/विपरीत लिंग/ अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। **रु. 250/- की राशि शुल्क की धनवापसी प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने पर बैंक प्रभार काटकर की जाएगी।	रु.250**

7. पेरा 7.1 का उप पेरा a&b शुल्क भुगतान संबंधी प्रकार/भुगतान की अंतिम तारीख निम्नानुसार पढ़ा जाय :

क. डेबिट /क्रेडिट कार्ड के उपयोग से या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दिनांक **30.03.2018** को **23.59** बजे तक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है ।

ख. निम्नलिखित माध्यम से शुल्क का ऑफलाइन भुगतान

- i) भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में दिनांक **28.03.2018** को **15.00** बजे तक एसबीआई बैंक चलान के माध्यम से भुगतान
- ii) कंप्यूटरीकृत किसी भी डाक घर में **27.03.2018** को **15:00** बजे तक डाक घर चलान के माध्यम से भुगतान

8. पेरा 7.4 निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :

रु. 250/- या रु. 400/-, जो लागू है, की धनवापसी के लिए पात्र उम्मीदवारों को ऑन लाइन आवेदन में लाभार्थी के खाते का विवरण, अर्थात् खाता धारक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड देना होगा । प्रथम चरण सी बी टी में भाग लेने पर बैंक प्रभार काट कर धन वापसी की जाएगी ।

9. पेरा 10.2 में बताए दिनांक 05.03.2019 को 31.03.2019 पढ़ा जाय ।

10. पेरा 11.0, 11.1, 11.2 और 11.3 को निम्न प्रकार रथानपन्न किया गया है :-

11.0 बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण (PwBD)

11.1 किसी पद पर बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति की योग्यता या उपयुक्तता का उल्लेख इस शुद्धि पत्र के अनुलग्नक—‘क-1’ में “बैंचमार्क दिव्यांग सहित व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता” कॉलम में प्रत्येक पद के संबंधित उप-दिव्यांगता के विवरण के साथ दी गई है ।

11.2 बैंचमार्क दिव्यांगताएं : राइट्स ऑफ परसन्स विथ डिजेबिलिटिज (RPwD) अधिनियम 2016 (19 अप्रैल 2017 से प्रभावी) के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांगताएं निम्नानुसार है :-

- (a) नेत्रहीनता और कम दृष्टि
- (b) बहरा और श्वरण बाधा
- (c) सेरेब्रल पाल्सी, लोप्रेसि क्यूर्झर्ड, बौनापन, एसिड हमला विकिटम और मस्कूलर डिस्टॉफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता
- (d) ऑटिजम, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक बिमारी
- (e) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए सूचित पदों में बहरा:नेत्रहीनता सहित धारा (a) से (d) के तहत व्यक्तियों में मल्टिपल दिव्यांगता ।

RPwD अधिनियम 2016 के अनुसूची के अनुसार निर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा इस शुद्धि पत्र के अनुलग्नक—‘क-2’ में दी गई है ।

11.3 छूट के लिए अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी : केवल वही व्यक्ति, अपने संबंधित समुदाय में सेवाओं/पदों के संबंध में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिनकी संबंधित अक्षमता 40 प्रतिशत से कम नहीं है ।

उम्मीदवार जो आयू की ओर/या आरक्षण की छूट का लाभ प्राप्त किया हो और दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया हो उसे सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र राइट्स ऑफ परसन्स विथ डिजेबिलिटि नियम – 2017 दिनांक 15.06.2017 के अध्याय 7 के नियम 18(1) के प्रारूप V, VI और VIII के अनुसार जमा करना होगा। | संशोधित प्रारूप के लिए इस शुद्धि पत्र के अनुलग्न V(क), V(ख) तथा V(ग) देखें।

परसन्स विथ डिजेबिलिटि अधिनियम 1995 (बाद से निरस्त) के तहत जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र दी गई निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होना जारी रहेगा।

11. पेरा 2.0 और अनुलग्न – ‘ख’ की तालिका पर रिक्तियों सहित सी ई एन दिनांक 03.02.2018 में जहां वी एच, और एच और एच एच को सूचित किया गया उसे दृष्टि दिव्यांगता, लोकोमेटर दिव्यांगता और श्रवण दिव्यांगता के रूप में पढ़ा जाय।

लेप्रेसि क्यूअर्ड, बौनापन और एसिड हमला विकिटम से बैंचमार्क दिव्यांग सहित उम्मीदवार (जो 03.02.2018 को प्रकाशित पूर्व सी ई एन 01/2018 में उल्लेख नहीं किया गया) उपयुक्त पद के लिए ऑन लाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए पात्र हैं। बहरा और श्रवण बाधा से बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार भी उपयुक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विविध बैंचमार्क दिव्यांगों के लिए उपयुक्त पदों के लिए इस शुद्धि पत्र के अनुलग्नक ‘क-1’ को देखें। राइट्स ऑफ परसन्स विथ डिजेबिलिटि अधिनियम 2016 के तहत बचे हुए अतिरिक्त बैंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करके भविष्य की भर्तियों में कवर किया जाएगा।

विस्तृत सी.इ.एन. 01/2018 दि.03.02.2018 का संलग्नक–‘क’ में सूचित चिकित्सा मानदंड तथा शैक्षणिक योग्यता सही माना जाता है।

12. पेरा 14.2 के उप पेरा (a) में परिवर्तित शुल्क संशोधन के बाद रु.100/- है (नॉन रिफंडबल)। रु.250/- शुल्क पूर्व भुगतान कर यदि जो भी उम्मीदवार आवेदन पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया हो तो अतिरिक्त राशि रु. 150/- का रिफंड ओवदन में दिए गये लाभार्थी के खाते दिया जाएगा।
13. विविध रे.भ.बो. या उसी रे.भ.बो. के लिए बहु आवेदनों को प्रस्तुत करने के बारे में पेरा 14.3 के उप पेरा (b) को हटाया गया समझें।
14. पेरा 20.0 की तालिका में डी-बहरा, एच एच-श्रवण बाधा, एल सी-लेप्रोसि क्यूअर्ड, डी डब्ल्यू-बौनापन और ए ए वी-एसिड हमला विकिटम संक्षिप्त रूप जोड़े जाते हैं।
15. उम्मीदवार जो परीक्ष शुल्क रु. 500 भुगतान किया है उन्हें सूचित किया जाता है कि सी बी टी के प्रथम चरण परीक्षा में भाग लेने पर रु.400 की धनवापसी के लिए रे.भ.बो. का अधिकारिक वेबसाइटों पर सी.इ.एन 01/2018 के आवेदन लिंक पर विलक कर अपने क्रेडेंशियल के साथ लाभार्थी खाता विवरण जोड़ने के लिए लॉग इन करें।
16. विस्तृत सी ई एन 01/2018 के अन्य विषय में कोई बदलाव नहीं है।

सं. रे.भ.बो./सी ई एन 1-2018/शुद्धि पत्र – 1
दिनांक : 28.02.2018

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्डस्

बैंचमार्क दिव्यांगता व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पद

कोटि सं	पदनाम	विभाग	उप विभाग	दृश्य दिव्यांगता	श्रव्य दिव्यांगता	लोकोमोटर दिव्यांगता
1	सहायक लोको पाइलट	विद्युत	द्रौकशन	नहीं	नहीं	नहीं
2	सहायक लोको पाइलट	यांत्रिक	द्राक्षण	नहीं	नहीं	नहीं
3	टेक्नीशियन ग्रेड-III अर्मेचर और काइल वाइंडर	विद्युत	सामान्य सेवाएं	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, बी एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
4	टेक्नीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिट	इंजीनियरिंग	रेल पथ	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
5	टेक्नीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिट	यांत्रिक	कैरेज व वैगन	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
6	टेक्नीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिट(वर्कशाप)	यांत्रिक	वर्कशाप	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
7	टेक्नीशियन ग्रेड III बुक बाइंडर	भंडार	प्रिंटिंग प्रेस	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
8	टेक्नीशियन ग्रेड III पुल	इंजीनियरिंग	पुल	नहीं	नहीं	नहीं
9	टेक्नीशियन ग्रेड III कार्पेटर	विद्युत	सामान्य सेवाएं	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
10	टेक्नीशियन ग्रेड III कार्पेटर	इंजीनियरिंग	संकर्म	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
11	टेक्नीशियन ग्रेड III कार्पेटर	यांत्रिक	कैरेज व वैगन	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
12	टेक्नीशियन ग्रेड III कार्पेटर (वर्कशाप)	यांत्रिक	वर्कशाप	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
13	टेक्नीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	यांत्रिक	कैरेज व वैगन	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
14	टेक्नीशियन ग्रेड-III क्रेन चालक	विद्युत	टी आर एस	नहीं	नहीं	नहीं
15	टेक्नीशियन ग्रेड-III क्रेन चालक	विद्युत	वर्कशाप	नहीं	नहीं	नहीं
16	टेक्नीशियन ग्रेड-III क्रेन चालक	यांत्रिक	वर्कशाप	नहीं	नहीं	नहीं
17	टेक्नीशियन ग्रेड- III डीजल विद्युत	यांत्रिक	डीजल शेड	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
18	टेक्नीशियन ग्रेड- III डीजल विद्युत (असिलरी)	यांत्रिक	डीजल शेड	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
19	टेक्नीशियन ग्रेड- III डीजल यांत्रिकी	यांत्रिक	डीजल शेड	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी

20	टेक्नीशियन ग्रेड- III डीजल यांत्रिकी (असिलरी)	यांत्रिक	डीजल शेड	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
21	टेक्नीशियन ग्रेड- III विद्युत	विद्युत	उत्पाद यूनिट	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
22	टेक्नीशियन ग्रेड- III विद्युत/ पॉवर	विद्युत	सामान्य सेवाएं	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
23	टेक्नीशियन ग्रेड- III विद्युत/ पॉवर (वर्कशाप)	विद्युत	वर्कशाप	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
24	टेक्नीशियन ग्रेड- III विद्युत/ गाडी प्रकाशन	विद्युत	सामान्य सेवाएं	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
25	टेक्नीशियन ग्रेड- III विद्युत/ गाडी प्रकाशन वर्कशाप	विद्युत	वर्कशाप	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
26	टेक्नीशियन ग्रेड- III विद्युत/ कर्षण	विद्युत	कर्षण	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
27	टेक्नीशियन ग्रेड- III विद्युत/ कर्षण (ओएचई)	विद्युत	कर्षण	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
28	टेक्नीशियन ग्रेड- III विद्युत/ कर्षण (पीएसआई)	विद्युत	कर्षण	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
29	टेक्नीशियन ग्रेड- III विद्युत/ टीआरएस	विद्युत	टी आर एस	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
30	टेक्नीशियन ग्रेड III ईएमयू	विद्युत	ई एम यू	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
31	टेक्नीशियन ग्रेड III फिटर	विद्युत	सामान्य सेवाएं	बी,एल वी	डी, एच एच	ओ एल,बी एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
32	टेक्नीशियन ग्रेड III फिटर	इंजीनियरिंग	संकर्म	बी,एल वी	डी, एच एच	ओ एल,बी एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
33	टेक्नीशियन ग्रेड III फिटर	यांत्रिक	कैरेज व वैगन	बी,एल वी	डी, एच एच	ओ एल,बी एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
34	टेक्नीशियन ग्रेड III फिटर (वर्कशॉप)	यांत्रिक	वर्कशाप	बी,एल वी	डी, एच एच	ओ एल,बी एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
35	टेक्नीशियन ग्रेड III फिटर (वर्कशॉप)	सि व दू सं.	वर्कशाप	बी,एल वी	डी, एच एच	ओ एल,बी एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
36	टेक्नीशियन ग्रेड III फर्नीशिंग	यांत्रिक	उत्पाद यूनिट	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
37	टेक्नीशियन ग्रेड III ग्राइंडर	इंजीनियरिंग	पुल/रेलपथ /संकर्म	बी,एल वी	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी

38	टेक्नीशियन ग्रेड III ल्यूटर एवं एलाइनर	इंजीनियरिंग	रेलपथ	नहीं	नहीं	नहीं
39	टेक्नीशियन ग्रेड III मशीन ऑफसेट प्रिंटिंग	भंडार	प्रिंटिंग प्रेस	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,बी एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
40	टेक्नीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट	विद्युत	सामान्य सेवाएं	नहीं	नहीं	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
41	टेक्नीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट	यांत्रिक	कैरेज व वैगन	नहीं	नहीं	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
42	टेक्नीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट	यांत्रिक	डीजल शेड	नहीं	नहीं	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
43	टेक्नीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट	यांत्रिक	उत्पाद यूनिट	नहीं	नहीं	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
44	टेक्नीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (वर्कशॉप)	यांत्रिक	वर्कशाप	नहीं	नहीं	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
45	टेक्नीशियन ग्रेड III मेसन	इंजीनियरिंग	संकर्म	एल वी	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
46	टेक्नीशियन ग्रेड III यांत्रिक	यांत्रिक	उत्पाद यूनिट	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
47	टेक्नीशियन ग्रेड III मिलराइट	यांत्रिक	कैरेज व वैगन	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
48	टेक्नीशियन ग्रेड III मिलराइट	यांत्रिक	उत्पाद यूनिट	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
49	टेक्नीशियन ग्रेड III मिलराइट	यांत्रिक	वर्कशाप	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
50	टेक्नीशियन ग्रेड III मोटर वाहन चालक एवं मैकेनिक	सामान्य	परिवहन	नहीं	नहीं	नहीं
51	टेक्नीशियन ग्रेड III मल्टि स्किल्ड फिटर	इंजीनियरिंग	संकर्म	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
52	टेक्नीशियन ग्रेड III पेंटर	विद्युत	सामान्य सेवाएं	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
53	टेक्नीशियन ग्रेड III पेंटर	इंजीनियरिंग	पुल/रेलपथ /संकर्म	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
54	टेक्नीशियन ग्रेड III पेंटर	इंजीनियरिंग	संकर्म	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
55	टेक्नीशियन ग्रेड III पेंटर	यांत्रिक	कैरेज व वैगन	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
56	टेक्नीशियन ग्रेड III पेंटर	यांत्रिक	उत्पाद यूनिट	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी

57	टेक्नीशियन ग्रेड III पैंटर (वर्कशाप)	यांत्रिक	वर्कशाप	नहीं	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
58	टेक्नीशियन ग्रेड III रेलपथ	इंजीनियरिंग	रेलपथ	नहीं	नहीं	नहीं
59	टेक्नीशियन ग्रेड -III प्लंबर / पाइप फिटर	इंजीनियरिंग	संकर्म	एल वी	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
60	टेक्नीशियन ग्रेड -III प्लंबर / पाइप फिटर	यांत्रिक	कैरेज व वैगन	एल वी	डी, एच एच	ओ एल,एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
61	टेक्नीशियन ग्रेड III पंप ऑपरेटर	विद्युत	सामाच्य सेवाएं	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ ए, आ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
62	टेक्नीशियन ग्रेड III पंप ऑपरेटर	इंजीनियरिंग	संकर्म	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ ए, आ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
63	टेक्नीशियन ग्रेड III रेफ्रिजेरेशन और एयर कंडीशनिंग	विद्युत	सामाच्य सेवाएं	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
64	टेक्नीशियन ग्रेड III रेफ्रिजेरेशन और एयर कंडीशनिंग (वर्कशाप)	विद्युत	वर्कशाप	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
65	टेक्नीशियन ग्रेड III रिमोट कंट्रोल (टीआरडी)	विद्युत	टी आर डी	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
66	टेक्नीशियन ग्रेड III रैगर	यांत्रिक	वर्कशाप	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ एल,बी एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
67	टेक्नीशियन ग्रेड III एस & टी / लाइन मैन	सि व दू सं.	सिगनल	नहीं	डी, एच एच	नहीं
68	टेक्नीशियन ग्रेड III शीट मेटल वर्कर	यांत्रिक	वर्कशाप	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
69	टेक्नीशियन ग्रेड III शेल	यांत्रिक	उत्पाद यूनिट	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
70	टेक्नीशियन ग्रेड III सिग्नल	सि व दू सं.	सिगनल	नहीं	नहीं	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
71	टेक्नीशियन ग्रेड III दूरसंचार	सि व दू सं.	दूरसंचार	नहीं	नहीं	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
72	टेक्नीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	ट्रॉकमशीन	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
73	टेक्नीशियन ग्रेड III डिमर	यांत्रिक	कैरेज व वैगन	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, बी एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
74	टेक्नीशियन ग्रेड III डिमर (वर्कशाप)	यांत्रिक	वर्कशाप	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, बी एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
75	टेक्नीशियन ग्रेड III टर्नर	विद्युत	टी आर एस	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी

76	टेक्नीशियन ग्रेड III टर्नर	यांत्रिक	डीजल शेड	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
77	टेक्नीशियन ग्रेड III टर्नर (वर्कशॉप)	यांत्रिक	वर्कशाप	बी, एल वी	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
78	टेक्नीशियन ग्रेड III वेल्डर	इंजीनियरिंग	पुल / रेलपथ / संकर्म	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
79	टेक्नीशियन ग्रेड III वेल्डर	इंजीनियरिंग	संकर्म	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
80	टेक्नीशियन ग्रेड III वेल्डर	यांत्रिक	कैरेज व वैगन	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
81	टेक्नीशियन ग्रेड III वेल्डर	यांत्रिक	डीजल शेड	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
82	टेक्नीशियन ग्रेड III वेल्डर	यांत्रिक	उत्पाद यूनिट	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
83	टेक्नीशियन ग्रेड III वेल्डर	भंडार	उत्पाद यूनिट	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी
84	टेक्नीशियन ग्रेड III वेल्डर (वर्कशॉप)	यांत्रिक	वर्कशाप	नहीं	डी, एच एच	ओ एल, एल सी, डी उब्ल्यु, ए ए वी

संक्षिप्त रूप : बी – अंधा, एल वी – कम दृश्य, डी – बहरा, एच एच – श्रव्य बाधा, ओ ए – एक बांह ओ एल – एक पैर, बी एल – दोनों पैर, एल सी – लेप्रसि क्यूआर्ड, डी उब्ल्यु – बौनापन, ए ए वी – एसिड हमला विकिटम

1. शारीरिक दिव्यांगता

क. लोकोमोटर दिव्यांगता (एक व्यक्ति मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिक तंत्र या दोनों के यातना से अपने चालन सहित वस्तुओं के विशेष गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थ हो), समेत :—

(a) “लेप्रसि क्यूआर्ड” व्यक्ति का अर्थ है जो लेप्रसि से क्यूआर्ड है लेकिन नीचे दिए सक पीडित है :—

(i) हाथ या पाद में चालन का नुकसान व संवेदना में भी नुकसान और आंख और आंख पलक में पेरिसिस हो लेकिन मेनिफेस्ट डिफामिटि न हो

(ii) मेनिफेस्ट डिफामिटि और पेरिसिस लेकिन उनके हाथों में और पाद में उचित गतिशीलता हो जिससे वह अपने गतिविधि में लगे रहते हैं

(iii) परम शारीरिक डिफामिटि साथ ही साथ बढ़ती आयू जो लाभदायक व्यवहार से रोकता है, तथा एक्सप्रेशन “लेप्रसि क्यूआर्ड” तदानुसार अर्थ लगायेगी ।

(b) ‘सेरेब्रल पाल्सि’ का अर्थ है, गैर प्रोग्रेसिव तंत्रिका । अवस्थाओं का ग्रूप है किसी व्यक्ति के जन्म के बाद या दौरान सामान्यतया मरिटिम के विशिष्ट क्षेत्रों या किसी एक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के द्वारा जो शरीर संचालन और मांसपेशियों पर प्रभावित होता है :

(c) (c) “बौनापन” का अर्थ है, चिकित्सक या जेनेटिक कंडीशन्स जिसके परिणाम स्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सें.मी.) या उससे कम :

(d) “मस्कूलर डिस्ट्रोफी” का अर्थ है, अनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी जो मांसपेशियों को कमजोर कर देता है कि उनके अनुवंशिकता में मल्पिल डिस्ट्रोफी की गरलत और अनुपस्थिति की सूचना सहित मानव शरीर और व्यक्ति को बढ़ाती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों को आवध्यक प्रोटीन को प्रदान करने से रोकती है। यह प्रोग्रेसिव स्केलेटल मांसपेशियों की कमी, मांसपेशियों के प्रोटीन में खराबी और टिश्यू तथा मांसपेशियों को नष्ट करने के लक्षण पाए जाते हैं :

(e) “एसिड हमला विकिटम्” का अर्थ है, हिंसक आचरण द्वारा एसिड या समरूप करोसिव पदार्थ फेंकने के कारण किसी व्यक्ति का रूप विकृत होना ।

B. दृष्टि दिव्यांगता

(a) ‘नेत्रहीन’ का अर्थ है, सही सुधार के बाद कोई व्यक्ति इसी में से किसी एक अवस्था में हो —

(i) नेत्र दृष्टि की पूर्ण कमी

(ii) नेत्र विजुअल अक्यूटी 3/60 से कम या सही सुधार सहित अच्छे आंख में 10/200 (स्नेलेन) से कम या

(iii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 10 डिग्री से कम होना

(b) ‘कमजोर दृष्टि’ का अर्थ है जहां एक व्यक्ति निम्न में से कोई एक स्थिति में होता है —

(i) विजुअल एक्यूटि 6/18 से ज्यादा न हो, या 20/60 से कम 3/60 तक या सही सुधार के साथ अच्छे आंख में 10/200 (स्नेलेन) तक

(ii) दृश्यता क्षेत्र की सीमा का विस्तार 40 डिग्री से कम व 10 डिग्री तक हो ।

C. श्रवण दिव्यांगता –

(a) ‘बहरा’ का अर्थ है एक व्यक्ति के दोनों कानों में संवाद फिक्वेंसि 70 डीबी हियरिंग लॉस हो ।

(b) ‘श्रवण बाधा’ का अर्थ है एक व्यक्ति के दोनों कानों में संवाद फिक्वेंसि 60 डीबी से 70 डीबी तक होना चाहिए ।

D. ‘वाणी और भाषा दिव्यांगता’ का अर्थ है, स्थिति से बाहर उत्पन्न होनेवाली स्थाई दिव्यांगता जैसे लेरिजेकओमी या न्यूरोलॉजिकल कारण या आर्गनिक के कारण वाणी या भाषा के एक या अधिक अंग को प्रभावित करनेवाला अफासिया है ।

2. बौद्धिक दिव्यांगता – महत्वपूर्ण सीमा और इन अडाप्टिव व्यवहार दोनों में बौद्धिक काम–काज द्वारा स्थिति को चिन्हित करता है ,विचार, सीखना, समस्या का सुलझाना जो दिन प्रतिदिन व सामाजिक कौशल के रेंज को कवर करता है –
- (a) ‘विशिष्ट लर्निंग दिव्यांगता’ का अर्थ है हेटेरोजनरस ग्रूप ऑफ कंडीशन्स जिसमें भाशा को बनाना, स्पोकन या लिखने को प्रकट करने में मुश्किल है इसमें स्थिति के अनुसार परसेक्युलर दिव्यांगता के कुछ ऐसी स्थितियों में समझना, बात करना, पढ़ना, लिखना, स्पेल करना या गणितक कैलकुलेशन करने में कठिनाई हो जो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलुकुलिया, डिसप्राक्सिया और विकसित अफसिया होते हैं ।
- (b) ‘ऑटिजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्था’ –
इसका अर्थ है एक व्यक्ति के जीवन के प्रथम तीन वर्षों में न्यूरो विकसित कंडीषन प्रदर्शित होता है, जो व्यक्ति के संवाद क्षमता, संबंध को समझने और दूसरों से संबंध रखने या अक्सर असमान्यता से संबंधित या स्टीरियोटाइपिकल रीति रिवाज या व्यवहार को प्रभावित करता है ।
3. मानसिक व्यवहार –
‘मानसिक बीमारी’ का अर्थ है, सोचने का ठोस विकार, मूड, परसेप्शन या मेमोरी जो निहायत ही निर्णय को बिगाड़ता है, व्यवहार, रियालिटी की क्षमता को पहचानना या जीवन के सामान्य मांगों को पूरा करना, लेकिन उसमें बाधा पासिल नहीं है, जो व्यक्ति के अपूर्ण मानसिक विकास या कमजोरविकास सबनार्नलिटी द्वारा विषेशकर चरित्र चिन्हण किया गया हो ।
4. दिव्यांगता इसके कारण है –
- (a) कोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन्स जैसे –
- (i) ‘मल्टिपल स्क्लेरोसिस’ का अर्थ है, इनफ्लमेट्री तंत्रिका तंत्र बीमारी जिसमें दिमाग के तंत्र सेल के एक्स के चौतरफ बेथ और स्पाइनल कार्ड क्षतिग्रस्त है, डिमिलिनेशन के लिए अग्रणी और दिमाग में तंत्रिका तंत्र सेल्स की सक्षमता पर प्रभावित तथा एक दूसरे के साथ स्पाइनल कार्ड कम्युनिकेट करता है ।
 - (ii) ‘पार्किनसन्स डिजिज’ का अर्थ है तंत्रिका तंत्र की बढ़ती हुई बीमारी ट्रिमर, मस्कुलर रिजिडिटी द्वारा चिन्हित है और धीमे से प्रभावित संचालन मुख्यतया मध्य आयु वाले और बुजुर्ग लोगों पर दिमाग के गैंग्लिया या बासल का डिजनरेशन सहित जुड़े रहते हैं तथा न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी होती है ।
- (b) खून की अव्यवस्था –
- (i) ‘हिमोफीलिया’ का अर्थ है इनहेरिटबल डिजीज, यह सिर्फ पुरुषों पर प्रभावित होती है लेकिन महिलाओं द्वारा अपने नर बच्चों पर प्रेषित होती है, यह कैरक्टराइज़ या खून की सामान्य क्लॉटिंग क्षमता की हानि के परिणाम स्वरूप एक नाबालिग को फेटल ब्लीडिंग होता है ।
 - (ii) ‘थ्रैलेसेमिया’ का अर्थ है इनहेरिटेड अव्यवस्था ग्रूप द्वारा कम किया गया या हिमोग्लोबिन की कमी
 - (iii) ‘सिकलसेल डिजिज’ का अर्थ है हेमोलैटिक अव्यवस्था, कोनिक अनीमिया, दर्दनाक घटनाओं द्वारा विशेषित है और असोसियेटेड टिस्यू व अंग क्षति के कारण विविध जटिलताएं होती है । रेड ब्लड सेल्स के से मेंब्रेंस को नश्ट करने पर परिणाम के रूप में हेमोग्लोबिन रिलीज होता है जो ‘हेमोलाइटिक’ को रेफर करता है ।
5. मल्टिपल दिव्यांगता ,उपरोक्त बताए दिव्यांगता में से एक से अधिकद्व बहरा नेत्रहीन सहित इसका अर्थ है, कोई एक व्यक्ति श्रवण और दृष्टि दिव्यांगता बाधा के संयोजन से होता है जो संवाद, विकासात्मक और वैक्षणिक समस्या का कारण बनता है ।
6. केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया हुआ कोई अन्य कोटि ।

फॉर्म—**V**दिव्यांग प्रमाण पत्र

(अंगच्छेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा मारने या बौनापन और नेत्रहीनता की स्थिति में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में
खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार का
प्रमाणित फोटोग्राफ, जिसमें
केवल उसका चेहरा दिखाया
गया हो।

प्रमाण पत्र संख्या : दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..... जन्म तिथि..... (तारीख/महीना/वर्ष)

आयु..... वर्ष, पुरुष/महिला..... पंजीकरण संख्या..... स्थायी निवासी मकान संख्या.....

वार्ड/गांव/गली..... डाक घर..... जिला..... राज्य.....

का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है। मैं आश्वस्त हूं कि:

(क) वह

*लोकोमोटर दिव्यांगता

*बौनापन

*नेत्रहीनता

से ग्रस्त है

(जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगाएं)

(ख) उसकी दिव्यांग का निदान..... है।

(1) दिशानिर्देशों के अनुसार (..... दिशा निर्देश जारी करने का दिनांक और संख्या उल्लेख किया

जाए) उसके (शरीर का अंग) में की स्थायी शारीरिक दिव्यांग

/बौनापन/नेत्रहीनता..... प्रतिशत (अंकों में) प्रतिशत (शब्दों में) है।

(2) आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाण
पत्र जारी किया गया है

फॉर्म—**VI**

दिव्यांग प्रमाण पत्र

(एक से ज्यादा दिव्यांगता होने की स्थिति में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में
खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार
का प्रमाणित फोटोग्राफ, जिसमें
केवल उसका चेहरा दिखाया
गया हो।

प्रमाण पत्र संख्या : दिनांक:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..... जन्म तिथि..... (तारीख/महीना/वर्ष)

आयु..... वर्ष, पुरुष/महिला..... पंजीकरण संख्या..... स्थायी निवासी मकान संख्या.....

वार्ड/गांव/गली..... डाकघर..... जिला..... राज्य.....

का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है। हम संतुष्ट हैं कि:

(क) वह एक से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है। उसकी स्थायी शारीरिक बाधा/दिव्यांगता को नीचे उल्लेखित दिव्यांगता के लिए दिव्यांग दिशा निर्देशों के अनुसार (..... दिशा निर्देश जारी करने का दिनांक और संख्या उल्लेख किया जाए) मूल्यांकन किया गया है और नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अपंगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक बाधा/मानसिक दिव्यांगता (प्रतिशत में)
1	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2	मस्कूलर डिस्ट्रॉफी			
3	लेप्रोसि क्यूबर्ड			
4	बौनापन			
5	सेरेब्रल पाल्सी			
6	एसिड हमला विकिटम			
7	कमजोर दृष्टि	#		
8	नेत्रहीनता	#		
9	बहरा	F		
10	श्रवण बाधा	F		
11	वाणी व भाषा दिव्यांगता			
12	बौद्धिक दिव्यांगता			
13	विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
14	ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
15	मानसिक बीमारी			
16	कोनिक न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स			

17	मल्टिपल स्कलरोसिस			
18	पार्किनसन्स डिजिज			
19	हिमोफीलिया			
20	थैलेसेमिया			
21	सिकल सेल डिजिज			

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए, कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों के अनुसार (.....

.....दिशा निर्देश जारी करने का दिनांक और संख्या उल्लेख किया जाए) निम्नानुसार है :

अंकों मेंप्रतिशत

शब्दों मेंप्रतिशत

2. यह दशा बढ़ रही है/ नहीं बढ़ रही है/ सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकनः

i) जरुरी नहीं है, या

ii) वर्ष..... माह के बाद सिफारिश की जाती है, इसलिए उनका प्रमाण पत्र.....
(तारीख/माह/वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर # अर्थात् एक आंख £ अर्थात् बायां/दायां/दोनों कान

4 आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का व्योरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

सदस्य का नाम व मुहर	सदस्य का नाम व मुहर	अध्यक्ष का नाम व मुहर
---------------------	---------------------	-----------------------

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

फॉर्म-VIIदिव्यांग प्रमाण पत्र(फॉर्म **V** और **VI** में किए गए उल्लेख के अलावा अन्य स्थितियों में)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

(नियम 18(1) देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में
खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार का
प्रमाणित फोटोग्राफ़, जिसमें केवल
उसका चेहरा दिखाया गया हो।

प्रमाण पत्र संख्या : दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं ने श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..... जन्म तिथि..... (तारीख/महीना/वर्ष)

आयु..... वर्ष, पुरुष/महिला..... पंजीकरण संख्या..... स्थायी निवासी मकान संख्या.....

वार्ड/गांव/गली..... डाकघर..... जिला..... राज्य.....

का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है। और मैं आश्वस्त हूं कि उसका मामला.....

..... दिव्यांगता का है। उसकी स्थायी शारीरिक बाधा/दिव्यांगता को नीचे उल्लेखित दिव्यांगता के लिए दिव्यांग

दिशा निर्देशों के अनुसार (..... दिशा निर्देश जारी करने का दिनांक और संख्या उल्लेख किया जाए)

मूल्यांकन किया गया है और नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

क्रमांक	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक बाधा/मानसिक दिव्यांगता (प्रतिशत में)
1	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2	मस्कूलर डिस्ट्रॉफी			
3	लेप्रोसि क्यूअर्ड			
4	सेरेब्रल पाल्सी			
5	एसिड हमले विकिटम			
6	कमजोर दृष्टि	#		
7	बहरा	€		
8	श्रवण बाधा	€		
9	वाणी व भाषा दिव्यांगता			
10	बौद्धिक दिव्यांगता			
11	विशिष्ट सीखने की अपंगता			
12	ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
13	मानसिक बीमारी			
14	क्रोनिक न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स			
15	मल्टिपल स्कलेरोसिस			

16	पार्किनसन्स डिजिज			
17	हिमोफीलिया			
18	थेलेसमिया			
19	सिकल सेल डिजिज			

(जो दिव्यांगता लागू न हो उसे काट दें)

2. यह दशा बढ़ रही है/ नहीं बढ़ रही है / सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन :

i) जरुरी नहीं है, या

ii) वर्ष..... माह के बाद सिफारिश की जाती है, इसलिए उनका प्रमाण पत्र.....
(तारीख/माह/वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर # अर्थात् एक आंख/दोनों आंख # अर्थात् बायां/दायां/दोनों कान

4 आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)
(नाम और मुहर)

प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा प्राधिकारी/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मुहर सहित)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

ध्यान दें: प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने की स्थिति में, यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने पर ही वैध होगा।